



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एन.-अ.-01082023-247743
CG-MN-E-01082023-247743

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 531]
No. 531]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 2023/श्रावण 6, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 2023/SHRAVANA 6, 1945

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मणिपुर अधिसूचना

इंफाल, 4 जुलाई, 2023

फ. सं. NITM.1/290/2023—राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मणिपुर का बोर्ड राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर के कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रथम परिनियमों में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित परिनियम बनाता है, अर्थातः—

- (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का प्रथम परिनियम (संशोधन) परिनियम, 2023 है।
(2) ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर पर लागू होंगे।
(3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल परिनियम कहा गया है) में परिनियम 1 के उप-परिनियम (1) में "राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रथम परिनियम" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर परिनियम, 2017" शब्द और अंक रखे जाएंगे।
- सभी मूल परिनियमों में, "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर, जहां भी वे आते हैं, "शिक्षा मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे।

4. मूल परिनियमों में, परिनियम 23 में—

(क) उप-परिनियम (5) में, प्रारंभिक भाग में, "या प्रोन्नति द्वारा" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-परिनियम (12) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-परिनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(12) कुछ पदों को चयन के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार के दायरे से छूट दी जा सकती है, जो बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है और जहां साक्षात्कार अनिवार्य है, वहां चयन समिति उन सभी उम्मीदवारों के प्रत्यय पत्रों की जांच करेगी जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया हो, पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेगी और उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों का अनुमोदन और तत्पश्चात नियुक्ति की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी को करेगी।"

5. मूल परिनियमों की, अनुसूची 'ड.' में—

(क) क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में अथवा यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या परिषद द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संबंधित वेतनमान या वेतन स्तर, यथास्थिति "सहायक प्रोफेसर, ग्रेड - II (संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाना है)।"

(ख) क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -11 में या केन्द्रीय सरकार या परिषद द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संबंधित वेतनमान या वेतन स्तर, यथास्थिति "सहायक प्रोफेसर, ग्रेड- II (संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाना है)।";

(ग) क्रम संख्या 3 के सामने,—

(i) स्तंभ (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -12 या केन्द्रीय सरकार या परिषद द्वारा अनुमोदित कोई अन्य समान वेतनमान या वेतन स्तर, यथास्थिति में सहायक प्रोफेसर, ग्रेड-I";

(ii) स्तंभ (4) में, "प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान" शब्दों के स्थान पर, "प्रतिष्ठित संस्थान" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) क्रम संख्या 4 के सामने —

(i) स्तंभ (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -13क2 अथवा यथास्थिति केन्द्रीय सरकार अथवा परिषद द्वारा अनुमोदित कोई अन्य समान वेतनमान अथवा वेतन स्तर, में एसोसिएट प्रोफेसर।";

(ii) स्तंभ (4) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"पीएच.डी के बाद छह वर्ष जिनमें से 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -12 या यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या परिषद द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संबंधित वेतनमान या वेतन स्तर, में सहायक प्रोफेसर ग्रेड-I के स्तर पर कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, अथवा किसी प्रतिष्ठित संस्थान अथवा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला अथवा संबंधित उद्योग में समकक्ष; अथवा नौ वर्ष का कुल कार्य अनुभव, जिसमें से तीन वर्ष पीएच.डी के बाद हों और 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -12 में अथवा यथास्थिति केन्द्रीय सरकार अथवा परिषद द्वारा अनुमोदित कोई अन्य समान वेतनमान अथवा वेतन स्तर, में सहायक प्रोफेसर ग्रेड-I के स्तर पर तीन वर्ष का अनुभव हो अथवा किसी प्रतिष्ठित संस्थान अथवा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला अथवा संबंधित उद्योग में समकक्ष।"

(ड.) क्रम संख्या 5 के सामने —

(i) स्तंभ (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -14क या यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या परिषद द्वारा अनुमोदित कोई अन्य समान वेतनमान या वेतन स्तर, में प्रोफेसर।"

(ii) स्तंभ (4) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"पीएच.डी के बाद दस वर्ष अथवा तेरह वर्ष का कुल कार्य अनुभव, जिसमें से सात वर्ष पीएच.डी के बाद होंगे और किसी प्रतिष्ठित संस्थान अथवा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला अथवा संबंधित उद्योग में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -13क2 में एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर तीन वर्ष का अनुभव अथवा स्तर -13क1 में अथवा स्तर 13क1 और स्तर -13क2 अथवा समकक्ष को मिलाकर एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर चार वर्ष का अनुभव।"

(च) क्रम संख्या 6 के सामने—

(i) स्तंभ (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -15 में अथवा यथास्थिति केन्द्रीय सरकार अथवा परिषद द्वारा अनुमोदित कोई अन्य समान वेतनमान अथवा वेतन स्तर, में प्रोफेसर (उच्च प्रशासनिक ग्रेड)।";

(ii) स्तंभ (4) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में स्तर 14 अथवा समकक्ष अथवा स्तर 14क अथवा समकक्ष अथवा स्तर 14 और स्तर 14क में छह वर्ष की संयुक्त सेवा:

परन्तु प्रोफेसर के रूप में छह वर्ष की नियमित सेवा करने के पश्चात प्रोफेसर के पदों की कुल संख्या के अधिकतम 40% पदों को पात्रता शर्तों को पूरा करने के पश्चात और विधिवत गठित चयन समिति की सिफारिशों पर उच्च प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान प्रदान किया जा सकता है।";

(छ) टिप्पण 1 में,—

(I) पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) वेतनमान में किसी भी परिवर्तन को, इन परिनियमों में विशेष रूप से छूट प्राप्त स्थानों को छोड़कर, एक खुले विज्ञापन के माध्यम से और विधिवत गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा:

परन्तु संस्थान में संविदा आधार पर नियुक्त सहायक प्रोफेसर ग्रेड-II को विधिवत गठित चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर, किन्तु खुले विज्ञापन के माध्यम से न होकर, 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में सफलतापूर्वक एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर, 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमान के स्तर-11 अथवा वेतन मैट्रिक्स अथवा अन्य कोई तदनुसंगी वेतनमान या ग्रेड वेतन अथवा वेतन स्तर में स्तरोन्नत किया जा सकता है।

(II) पैरा (6) में, उप-पैरा (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) पचास वर्ष या उससे अधिक आयु वाला स्थायी संकाय-

(i) 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 में सहायक प्रोफेसर ग्रेड-II को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 में अथवा केन्द्रीय सरकार या परिषद द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समान वेतनमान अथवा ग्रेड वेतन अथवा वेतन स्तर पर, सहायक प्रोफेसर ग्रेड-I के स्तर पर मैप किया जाएगा, परन्तु उनके पास उनके सेवाकाल में कम से कम 10 क्रेडिट पॉइंट हों।

(ii) 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 में सहायक प्रोफेसर ग्रेड-I को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13क2 में एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर मैप किया जाएगा, बशर्ते कि उनके पास उनके सेवाकाल में कम से कम 25 क्रेडिट पॉइंट हों।

(iii) 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13क1 में एसोसिएट प्रोफेसर को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13क2 में एसोसिएट-प्रोफेसर के स्तर पर मैप किया जाएगा, बशर्ते कि उनके पास उनके सेवाकाल में कम से कम 25 क्रेडिट पॉइंट हों:

परन्तु उन्हें परिनियमों के अधीन विधिवत गठित एक चयन समिति के माध्यम से उपयुक्त पाया गया हो।";

(III) पैरा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(7) वास्तुकला विभाग में संकाय के स्थान पर सहायक प्रोफेसर स्तर पर क्रेडिट प्वाइंट की अपेक्षाओं पर बल दिए बिना निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएँ होंगी:

- (i) एक वर्ष के व्यावसायिक अनुभव के साथ एम.आर्क अथवा एम.प्लान: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में अथवा यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या परिषद द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संबंधित वेतनमान अथवा ग्रेड वेतन अथवा वेतन स्तर, में सहायक प्रोफेसर ग्रेड-II
- (ii) दो वर्ष के व्यावसायिक अनुभव के साथ एम.आर्क अथवा एम.प्लान: 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -11 में अथवा यथास्थिति केन्द्रीय सरकार अथवा परिषद द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संबंधित वेतनमान अथवा ग्रेड वेतन अथवा वेतन स्तर, में सहायक प्रोफेसर ग्रेड-II
- (8) अनुसूची 'ड.' के अधीन यथानिर्दिष्ट शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति की अर्हता और अन्य निबंधन और शर्तों को तारीख 13 सितंबर, 2017; 30 नवंबर, 2017; 4 दिसंबर, 2017; 31 जनवरी, 2018; 20 अप्रैल, 2018; और 16 अप्रैल, 2019 को परिषद के अनुमोदन से जारी दिशानिर्देशों अथवा स्पष्टीकरणों के साथ पढ़ा जाएगा।
- (9) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर के तत्कालीन स्थिर और अर्हक संकाय के लिए एक बारगी छूट अथवा उपाय तारीख 6 अक्टूबर, 2017 और 17 नवंबर, 2017 के पत्र के माध्यम से परिषद के अनुमोदन से जारी छूट के अनुसार होंगे।
- परन्तु तारीख 6 अक्टूबर, 2017 और 17 नवंबर, 2017 के पत्रों में निहित एक बारगी छूट अथवा उपायों की कोई वैधता नहीं होगी और उन एक बारगी छूटों या उपायों के जारी होने के बाद शुरू की गई भर्तियों के पहले दौर के बाद समाप्त मानी जाएंगी और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर में संकाय की भर्ती के अनुवर्ती दौरों के लिए उनकी कोई वैधता नहीं होगी।
- (ज) टिप्पण 2 में, "अंतिम प्रोन्नति के पश्चात् से" शब्दों के स्थान पर, जहां भी वे आते हों, "अंतिम नियुक्ति से" शब्दों को रखा जाएगा।

के. एच. मंगलम सिंह, प्रभारी निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./313/2023-24]

टिप्पण: मूल परिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 23 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 280 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तारीख 15 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.837 (अ) और तारीख 21 जुलाई, 2017 के का.अ. 947(अ) द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY MANIPUR NOTIFICATION

Imphal, the 4th July, 2023

F. No. NITM.1/290/2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 (29 of 2007), with the approval of the Visitor of the National Institute of Technology, Manipur, the Board of the National Institute of Technology, Manipur, hereby makes the following Statutes to amend the First Statutes of the National Institutes of Technology, namely:—

1. (1) These Statutes may be called the First Statutes of the National Institutes of Technology (Amendment) Statutes, 2023.
- (2) They shall apply to the National Institute of Technology, Manipur.
- (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the First Statutes of the National Institutes of Technology (hereinafter referred to as the principal Statutes), in statute 1, in sub-statute (1), for the words "The First Statutes of the National Institutes of Technology", the words and figures "the National Institute of Technology, Manipur Statutes, 2017" shall be substituted.
3. Throughout the principal Statutes, for the words "Ministry of Human Resource Development", wherever they occur, the words "Ministry of Education" shall be substituted.
4. In the principal Statutes, in statute 23,—
 - (a) in sub-statute (5), in the opening portion, the words "or by promotion" shall be omitted;
 - (b) for sub-statute (12), the following sub-statute shall be substituted, namely:—

“(12) Some of the posts may be exempted from the purview of the personal interview for selection, which may be decided by the Board and in case where the interview is compulsory, the Selection Committee shall examine credentials of all the candidates who have been called for interview, interview the eligible candidates and recommend the names of suitable candidates to the competent authority for approval and appointment thereafter.”

5. In the principal Statutes, in Schedule 'E',—

(a) against serial number 1, for entries in column (2), the following entries shall be substituted, namely:—

“Assistant Professor, Grade – II (to be appointed on contract basis) in Level-10 of the Pay Matrix of the 7th Central Pay Commission or any other corresponding pay scale or pay level approved by the Central Government or the Council, as the case may be.”;

(b) against serial number 2, for entries in column (2), the following entries shall be substituted, namely:—

“Assistant Professor, Grade–II (to be appointed on contract basis) in Level-11 of the Pay Matrix of the 7th Central Pay Commission or any other corresponding pay scale or pay level approved by the Central Government or the Council, as the case may be.”;

(c) against serial number 3,—

(i) for entries in column (2), the following entries shall be substituted, namely:—

“Assistant Professor, Grade–I in Level-12 of the Pay Matrix of the 7th Central Pay Commission or any other corresponding pay scale or pay level approved by the Central Government or the Council, as the case may be.”;

(ii) in column (4), for the words “reputed academic Institute”, the words “Institution of repute” shall be substituted;

(d) against serial number 4,—

(i) for entries in column (2), the following entries shall be substituted, namely:—

“Associate Professor in Level-13A2 of the Pay Matrix of the 7th Central Pay Commission or any other corresponding pay scale or pay level approved by the Central Government or the Council, as the case may be.”;

(ii) for entries in column (4), the following entries shall be substituted, namely:—

“Six years after Ph.D. of which at least three years experience at the level of Assistant Professor Grade–I in Level-12 of the Pay Matrix of the 7th Central Pay Commission or any other corresponding pay scale or pay level approved by the Central Government or the Council, as the case may be, or equivalent in an Institution of repute or Research & Development lab or relevant industry; or nine years total working experience, of which three years shall be after Ph.D. and with three years experience at the level of Assistant Professor Grade–I in Level-12 of the Pay Matrix of the 7th Central Pay Commission or any other corresponding pay scale or pay level approved by the Central Government or the Council, as the case may be, or equivalent in an Institution of repute or Research & Development lab or relevant industry.”;

(e) against serial number 5,—

(i) for entries in column (2), the following entries shall be substituted, namely:—

“Professor in Level-14A of the Pay Matrix of the 7th Central Pay Commission or any other corresponding pay scale or pay level approved by the Central Government or the Council, as the case may be.”;

(ii) for entries in column (4), the following entries shall be substituted, namely:—

“Ten years after Ph.D. or thirteen years total working experience, out of which seven years shall be after Ph.D. and with three years experience at the level of Associate Professor in Level-13A2 of the Pay Matrix of the 7th Central Pay Commission or four years at the level of Associate Professor in Level-13A1 or combination of Level-13A1 and Level-13A2 or equivalent in an Institution of repute or Research and Development lab or relevant industry.”;

(f) against serial number 6,—

(i) for entries in column (2), the following entries shall be substituted, namely:—

“Professor (Higher Administrative Grade) in Level-15 of the Pay Matrix of the 7th Central Pay Commission or any other corresponding pay scale or pay level approved by the Central Government or the Council, as the case may be.”;

(ii) for entries in column (4), the following entries shall be substituted, namely:—

“Six years as Professor in Level 14 or equivalent or Level 14A or equivalent or a combination of service in Level 14 and Level 14A in an Institute of National Importance:

Provided that upto a maximum of 40% of the total number of Professors in position, after rendering regular service of six years as Professor may be granted Higher Administrative Grade scale after fulfilling the eligibility conditions and on the recommendations of duly constituted Selection Committee.”;

(g) in Note 1,—

(I) for paragraph (1), the following shall be substituted, namely:—

“(1) Any change in the pay scale shall be through an open advertisement and on the recommendations of the duly constituted Selection Committee, except where specifically exempted in these Statutes:

Provided that the Assistant Professor Grade-II appointed on contract basis in the Institute shall be, on successful completion of one year of service in Level-10 of the Pay Matrix of the 7th Central Pay Commission, may be upgraded to Level-11 of the Pay Matrix of the 7th Central Pay Commission or any other corresponding pay scale or grade pay or pay level, if found suitable by a duly constituted Selection Committee, but not through open advertisement.”;

(II) in paragraph (6), for sub-paragraph (a), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(a) Permanent faculty with fifty years of age or above—

(i) The Assistant Professors Grade-II in Level-11 of the Pay Matrix of the 7th Central Pay Commission shall be mapped at the level of Assistant Professor Grade-I in Level-12 of the Pay Matrix of the 7th Central Pay Commission or any other corresponding pay scale or grade pay or pay level approved by the Central Government or the Council, provided that they have at least 10 credit points in their service.

(ii) The Assistant Professors Grade-I in Level-12 of the Pay Matrix of the 7th Central Pay Commission shall be mapped at the level of Associate Professor in Level-13A2 of the Pay Matrix of the 7th Central Pay Commission, provided they have at least 25 credit points in their service.

(iii) The Associate Professors in Level-13A1 of the Pay Matrix of the 7th Central Pay Commission shall be mapped at the level of Associate Professor in Level-13A2 of the Pay Matrix of the 7th Central Pay Commission, provided that they have at least 25 credit points in their service:

Provided that they have been found suitable through a Selection Committee duly constituted under the Statutes.”;

(III) for paragraph (7), the following paragraphs shall be substituted, namely:—

“(7) For faculty in the Department of Architecture, following shall be essential qualifications without insisting on credit point requirements at Assistant Professor level:

(i) M.Arch. or M.Plan. with one-year professional experience: Assistant Professor Grade-II in Level-10 of the Pay Matrix of the 7th Central Pay Commission or any other corresponding pay scale or grade pay or pay level approved by the Central Government or the Council, as the case may be;

(ii) M.Arch. or M.Plan. with two years of professional experience: Assistant Professor Grade-II in Level-11 of the Pay Matrix of the 7th Central Pay Commission or any other corresponding pay scale or grade pay or pay level approved by the Central Government or the Council, as the case may be.

(8) The qualifications and other terms and conditions of appointment of academic staff as specified under Schedule ‘E’ shall be read in conjunction with the guidelines or clarifications issued with the approval of the Council on 13th September, 2017; 30th November, 2017; 4th December, 2017; 31st January, 2018; 20th April, 2018; and 16th April, 2019.

(9) The one-time relaxation or measures for the then stagnated and eligible faculty of the National Institute of Technology, Manipur shall be as per the relaxations issued with the approval of the Council *vide* communications dated the 6th October, 2017 and 17th November, 2017:

Provided that one-time relaxation or measures contained in the communications dated the 6th October, 2017 and 17th November, 2017 shall have no validity and stand exhausted after the first round of recruitments initiated after issuance of those one-time relaxations or measures and shall not have any validity for subsequent rounds of recruitment of the faculty in the National Institute of Technology, Manipur.”

- (h) in Note 2, for the words “since the last promotion” wherever they occur, the words “since the last appointment” shall be substituted.

Prof. K. H. MANGLEM SINGH, Dir. i/c

[ADVT.-III/4/Exty./313/2023-24]

Note: The principal Statutes were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R.280 (E) dated the 23rd April, 2009 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R.837 (E) dated the 15th October, 2015 and S.O.947(E) dated the 21st July, 2017.